अंतिम डिकी मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

जज अदालत–न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) बांदीकुई मुकाम–बांदीकुई
जज इजलास– नीतू करोल आर.ए.एस. सहायक कलक्टर (फास्ट–टेक) बांदीकुई
उनवान– करण सिंह बनाम मोहन सिंह वगै.
दावा बाबत– तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मु0न0 04/2017 न्यायालय में दर्ज संख्या 20/2024

आदेश है कि वादी वाद दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर ग्राम नांगवास पटवा हल्का बडियाल खुर्द तहसील बसवा जिला दौसा में भूमि खैवट खतौनी संख्या नयी 12 पुरानी 11 खसरा नं0 261 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 271 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 279 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 299 रकबा 0.03 है., खसरा नं0 810/269 रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 819/253 रकबा 0.02 है0, कुल किता 6 कुल रकबा 0.12 है0, वार्षिक लगानी 0.65 रूपये एवम खाता संख्या नया 11 पुराना 11 खसरा नं0 263 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 264 रकबा 0.23 है0, खसरा नं0 266 रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 278 रकबा 0.07 है0, खसरा नं0 775/253 रकबा 0.14 है0, खसरा नं0 784/262 रकबा 0.62 है0, खसरा नं0 798/248 रकबा 1.04 है0, खसरा नं0 811/269 रकबा 0.09 है0, खसरा नं0, 815/287 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 817/296 रकबा 0.08 है0, खसरा नं0 826/280 रकबा 0.09 है0, कुल किता 12 कुल रकबा 2.74 है0 तहसीलदार बांदीकुई से प्राप्त कुर्रेजात अनुसार वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। तहसीलदार बांदीकुई तदानुसार राजस्व रिकार्ड में विधिवत अमल दरामद करना सुनिश्चित करे। साथ ही प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की मजाहमत न करे। निज.....मुबलिग.....बाबत्.. .....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद मसरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15 माह 09 सन् 2025 को जारी की गई।

(नीतू करोल)
आरएएस
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
बांदीकुई

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) बांदीकुई

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामास्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	निल	निल	स्आम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	निल	निल

दस्तखत.....
ओहदा.....

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) बांदीकुई

मु0न0 04/2017
न्यायालय में दर्ज संख्या 20/2024
दर्ज दिनांक 12.08.2024
निर्णय दिनांक 15.09.2025

उनवान

1. करण सिंह पुत्र रूड सिंह उम्र 21 साल जाति राजपूत निवासी नांगवास तहसील बसवा जिला दौसा।

.....वादी

बनाम

1.मोहनसिंह पुत्र बागसिंह
2.सोहनसिंह पुत्र बागसिंह
3. जयपाल सिंह पुत्र बागसिंह
4. महिपालसिंह पुत्र बागसिंह
5.विजेन्द्र सिंह पुत्र बागसिंह
6.टीकमसिंह पुत्र शिवदान सिंह
7.विष्णुदेवी पत्नि शिवदानसिंह
8. पुष्पादेवी पत्नि जयसिंह
9. कमलसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह
10. भोला सिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह
11.पुष्पादेवी पत्नि राजेन्द्रसिंह
12. रमाबाई पुत्री स्व0 राजेन्द्रसिंह
13. कोमल पुत्री राजेन्द्रसिंह
14. दुर्गेश पुत्री स्व0 राजेन्द्रसिंह
समस्त जाति राजपूत निवासी नांगवास तहसील बसवा जिला दौसा राज0
15. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार तहसील बसवा।
16. उपपंजीयन अधिकारी उपपंजीयन कार्यालय बॉदीकुई।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित : वादी अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश सैनी एडवोकेट
प्रतिवादी अधिवक्ता श्री विरेन्द्र सिंह एडवोकेट

दावा तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक15.09.2025

वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण जर्ये वकील न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पेश किया गया था। प्रकरण शीघ्र सुनवाई हेतु न्यायालय हाजा में स्थानान्तरण होकर प्राप्त हुआ जिसका संक्षिप्त में विवरण निम्न प्रकार है।

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner

ग्राम नांगवास पटवा हल्का बडियाल खुर्द तहसील बसवा जिला दौसा में भूमि खैवट खतौनी संख्या नयी 12 पुरानी 11 खसरा नं0 261 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 271 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 279 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 299 रकबा 0.03 है., खसरा नं0 810/269 रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 819/253 रकबा 0.02 है0, कुल किता 6 कुल रकबा 0.12 है0, वार्षिक लगानी 0.65 रूपये एवम खाता संख्या नया 11 पुराना 11 खसरा नं0 263 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 264 रकबा 0.23 है0, खसरा नं0 266 रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 278 रकबा 0.07 है0, खसरा नं0 775/253 रकबा 0.14 है0, खसरा नं0 784/262 रकबा 0.62 है0, खसरा नं0 798/248 रकबा 1.04 है0, खसरा नं0 811/269 रकबा 0.09 है0, खसरा नं0, 815/287 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 817/296 रकबा 0.08 है0, खसरा नं0 826/280 रकबा 0.09 है0, कुल किता 12 कुल रकबा 2.74 है0 तकास्मा करने हेतु न्यायालय में पेश किया गया था। वाद वादी दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रकरण में दिनांक 10.08.2023 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर कुर्रेजात चाहे गये थे। तहसीलदार बांदीकुई द्वारा प्रकरण में दिनांक 22/12/2023,31.07.2024 को पेश किये गये उक्त कुर्रेजात पर प्रतिवादीगण की आपत्ति आने पर कुर्रेजात खारिज किये जाकर प्रकरण में पुनः कुर्रेजात हेतु तहसीलदार बांदीकुई को आदेश दिये गये। तहसीलदार बांदीकुई द्वारा उनके पत्रांक 3153 दिनांक 27.6.2025 के द्वारा कुर्रेजात पेश किये गये।

प्राप्त कुर्रेजात पर प्रतिवादीगण द्वारा निम्न प्रकार आपत्ति पेश की गईः— उक्त उनवानी प्रकरण में तारीख पेशी आज की नियत है। हस्तगत प्रकरण में कुर्रेजात विधि विरूद्ध तथा मौके के विपरीत कब्जे को अनदेखा कर फौरी तौर पर तैयार किये गये है जो निरस्त होने योग्य है। कथित कुर्रेजात मौके पर जाये बिना तथा कब्जे की जॉच किये बिना, आपत्तिकर्ता/प्रतिवादीगण को सूचित किये बिना उनकी अनुपस्थिति में वादी से मिली भगत कर तहसीलदार के मौके पर जाये बिना, तैयार कर प्रस्तुत किये है जो निरस्त होने योग्य है। कथित कुर्रेजात राजस्थान काश्तकारी (राजस्व बोर्ड नियम 1955) के नियम 18 लगायत 21 की अवहेलना कर अवैध रूप से तैयार किये गये है। जो निरस्त होने योग्य है। आपत्तिकर्ता/प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावा एवं साक्ष्य से यह साबित किया है कि भूमि वादग्रस्त के खसरा न.0 784/262 रकबा 0.62 हैक्टेयर, खसरा नं0 264 रकबा 0.23 हैक्टे, खसरा नं0 266 रकबा 0.01 हैक्टे. खसरा नं0 278 रकबा 0.33 हैक्टे. के सम्पूर्ण रकबे सहित तथा खसरा नं0 798/248 रकबा 1.04 हैक्टेयर, के रकबे में से उत्तरी दिशा का 0.19 हैक्टेयर इस प्रकार कुल 1.38 हैक्टेयर भूमि पर अर्सा 40 वर्ष पूर्व पूर्वजो द्वारा किये गये बाहमी बंटवारा के समय से काबिज काश्त चले आ रहे है जो कि स्वीकृत तथ्य है। आपत्तिकर्तागण ने अपने हिस्से कब्जे की उक्त वर्णित भूमि में लाखों रूपये की निजी लागत लगाकर व मेहनत से उपजाऊ बनाया है। विवादित भूमि के खसरा नं0 798/248 की दक्षिणी 0.85 हैक्टेयर भूमि खसरा नं0 298 रकबा 0.07 हैक्टे0, खसरा नं0 775/253 रकबा 0.14 हैक्टे0 खसरा नं0 811/269 रकबा 0.09 हैक्टे0, खसरा नं0 815/287 रकबा 0.02 हैक्टे0, खसरा नं0 817/296 रकबा 0.08 हैक्टे0, खसरा नं0 826/280 रकबा 0.09 हैक्टे0, खसरा नं0 263 रकबा 0.02 हैक्टे0, कुल रकबा 1.38 हैक्टेयर पर वादीगण बाहमी बंटवारा अर्सा 40 वर्ष पूर्व से ही काबिज काश्त चले आ रहे है। खसरा नं0 784/262 रकबा 0.62 हैक्टेयर में आपत्तिकर्तागण ने अपने निजी खर्च से ट्यूबवैल/बौरिंग करवा रखी है जिसमें प्रतिवादी मोहन सिंह के नाम से विधुत सम्बन्ध स्थापित चला आ रहा है। कथित कुर्रेजात वादी से मिली भगत कर, वादी को बेजा लाभ पहुॅचाने व आपत्ति कर्तागण

सहायक कलेक्टर एव
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बांदीकुई

को बेजा हानि पहुँचाने की गरज से फौरी तौर पर तैयार किये गये है। खसरा नम्बर 784/262, खसरा नम्बर 264,278,798/248 के रकबे में उत्तरी दिशा में 0.19 हैक्टेयर इस प्रकार कुल 1.38 हैक्टेयर भूमि आपत्तिकर्तागण काबिज काश्त है चले आ रहे है फिर भी खसरा नम्बर 784/262 खसरा नम्बर 264,278 का दक्षिणी भाग गलत रूप से वादी को कुर्रेजात में देना दर्शित कर दिया है। खसरा नम्बर 278 के उत्तरी हिस्से पर आपत्तिकर्तागण को दर्शित कर दिया गया है लेकिन उसमें रास्ते की सुविधा नही है। खसरा नम्बर 826/280 298 ,897/296 के सभी रकबे पर वादी काबिज चला आ रहा है जिसमें खसरा नम्बर 298 को गलत रूप से आपत्तिकर्तागणो के हिस्से में तथा खसरा नम्बर 817/296 के रकबे को गलत बांट दिया गया है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 775/253 के सम्पूर्ण रकबे पर वादीगण काबिज चले आ रहे है जिसको भी गलत रूप से दो भागो में बांट दिया गया है। इस प्रकार खसरा नम्बर 798/748 के रकबे को भी वादी तथा आपत्तिकर्तागण में आधा–आधा गलत रूप से विभाजित किया गया है। क्योकि खसरा नम्बर 775/253 के उत्तरी भाग में 0.19 हैक्टेयर भूमि पर आपत्तिकर्ता काबिज है तथा शेष पर वादीगण काबिज चले आ रहे है। कथित कुर्रेजात तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर तैयार नही किये गये है तथा पक्षकारान को सूचित भी नही किया गया कुर्रेजात विधि विरूद्ध है। पुर्व में पेश कुर्रेजात ही पुनः न्यायालय में भिजवाये गये है। अतः कुर्रेजात नये सिरे से पुनः तलब किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

जवाब प्रार्थना पत्र आपत्ति विरुद्ध कुर्रेजात दिनांक 11/06/2025 वादी द्वारा प्रार्थना पत्र आपत्ति कुर्रेजात का जवाब निम्नलिखित पेश है प्रार्थना पत्र का पैरा न. 1 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का पैरा न. 2 अस्वीकार है कुर्रेजात विधि अनुसार, कब्जे काश्त को ध्यान में रखते हुए ही बनाए गए हैं। कुर्रेजात दिनांक 11/06/2025 न तो विधि–विरुद्ध है, न ही मौके के विपरीत। यह राजस्थान काश्तकारी (राजस्व बोर्ड नियम), 1955 के नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना में, तहसीलदार द्वारा मौके पर आकर, दोनो पक्षो को सुनवाई का पूरा पूरा अवसर देते हुए ही कब्जा, काश्त एवं रास्ते आदि की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एवं भूमि–गुणवत्ता का परीक्षण कर निष्पक्ष रूप से कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार की गई है। फौरी /जल्दबाजी का आरोप निराधार है। प्रार्थना पत्र का पैरा न. 3 अस्वीकार है। क्योंकि आपत्तिकर्तागण/प्रतिवादीगण पक्ष एवं वादी पक्ष को मौके की सूचना दिनांक 30/05/2025 विधिवत नोटिस जारी कर दे दी गई थी। श्रीमान तहसीलदार महोदय बांदीकुई ने दोनो पक्षों को सुनवाई का पूरा पूरा अवसर देते हुए एवं मौके पर दिनांक 11/06/2025 को उपस्थित होकर निरीक्षण कर कुर्रेजात तैयार किये है। अतः प्रतिवादी का यह कहना कि बिना मौके पर जाए तथा बिना सूचना दिए कुर्रेजात तैयार किये गये, पूर्णतया असत्य एवं निराधार है। प्रतिवादी द्वारा यह आपत्ति केवल कार्यवाही में अनावश्यक विलम्ब करने हेतु लगाई गई है, जिसे अस्वीकार किया जाना न्यायोचित होगा। मौके पर जो तहसीलदार दिनांक 11.06.2025 को उपस्थित आया और कुर्रेजात बनाये जिसकी विडियोग्राफी जवाब के साथ संलग्न है। प्रार्थना पत्र का पैरा न. 4 अस्वीकार है। कुर्रेजात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 18 लगायत 21 की पूर्ण पालना में बनाए गए है। प्रार्थना पत्र का पैरा. न. 5 अस्वीकार है वादी एवं आपत्तिकर्तागण / प्रतिवादीगण व उनके पूर्वजों ने खातेदारी भूमि का बाहमी बंटबारा कभी नही किया था। यह सब बोल से मनगढंत तैयार की गई है प्रतिवादी द्वारा अपनी मन अनुसार लिखा गया कथित जवाब दावा एवं आपत्ति प्रार्थना पत्र दोनो मनगढ़ंत एवं मिथ्या है। 40 वर्ष पूर्व बाहमी बंटवारा एवं विशिष्ट कब्जा का दावा बिना दस्तावेज है और अस्वीकार्य है। वादग्रस्त भूमि खातेदारी भूमि

सहायक कलेक्टर एव
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner

है। खातेदारी भूमि को उपजाऊ बनाने में वादी और प्रतिवादी दोनों का साझा योगदान रहा है किसी एक पक्ष का अकेले लाखों रुपयों दावा प्रमाण रहित है। प्रार्थना पत्र का पैरा न. 6 अस्वीकार है क्योंकि खसरा 784/262 रकबा 0.62 हेक्टेयर पर कोई ट्यूबवेल/बोरबेल नहीं दिनांक 30/05/2025 विधिवत नोटिस जारी कर दे दी गई थी। श्रीमान तहसीलदार महोदय बांदीकुई ने दोनो पक्षों को सुनवाई का पूरा पूरा अवसर देते हुए एवं मौके पर दिनांक 11/06/2025 को उपस्थित होकर निरीक्षण कर कुर्रेजात तैयार किये है। अतः प्रतिवादी का यह कहना कि बिना मौके पर जाए तथा बिना सूचना दिए कुर्रेजात तैयार किये गये, पूर्णतया असत्य एवं निराधार है। प्रतिवादी द्वारा यह आपति केवल कार्यवाही में अनावश्यक विलम्ब करने हेतु लगाई गई है, जिसे अस्वीकार किया जाना न्यायोचित होगा। मौके पर जो तहसीलदार दिनांक 11.06.2025 को उपस्थित आया और कुर्रेजात बनाये जिसकी विडियोग्राफी जवाब के साथ संलग्न है। प्रार्थना पत्र का पैरा न. 4 अस्वीकार है। कुर्रेजात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 18 लगायत 21 की पूर्ण पालना में बनाए गए है। प्रार्थना पत्र का पैरा. न. 5 अस्वीकार है वादी एवं आपत्तिकर्तागण /प्रतिवादीगण व उनके पूर्वजों ने खातेदारी भूमि का बाहमी बंटबारा कभी नही किया था। यह सब बोल से मनगढंत तैयार की गई है प्रतिवादी द्वारा अपनी मन अनुसार लिखा गया कथित जबाब दावा एवं आपत्ति प्रार्थना पत्र दोनो मनगढ़ंत एवं मिथ्या है। 40 वर्ष पूर्व बाहमी बंटवारा एवं विशिष्ट कब्जा का दावा बिना दस्तावेज है और अस्वीकार्य है। वादग्रस्त भूमि खातेदारी भूमि है। खातेदारी भूमि को उपजाऊ बनाने में वादी और प्रतिवादी दोनों का साझा योगदान रहा है किसी एक पक्ष का अकेले लाखों रुपयों दावा प्रमाण रहित है। प्रार्थना पत्र का पैरा न. 6 अस्वीकार है क्यों कि खसरा 784/262 रकबा 0.62 हैक्टेयर पर कोई ट्यूबवेल / बोरबेल नहीं रखवा रखी है और खसरा नंबर 784/262 रकबा 0.62 हैक्टेयर पर आपत्तिकर्तागण/प्रतिवादीगण मोहन सिंह के नाम पर कोई विद्युत कनेक्शन भी स्थापित नहीं चला आ रहा है। आपत्ति करता द्वारा ट्यूबवेल /बोरबेल करवा रखा है तो उसके संम्बन्ध में कोई दस्तावेज माननीय न्यायालय के समक्ष जरूर पेश करता। मात्र मौखिक कथन असत्य एवं झूठे किये है। जो बिना साक्ष्य आपत्तिकर्तागण /प्रतिवादीगण ने एक भी बार खसरा नंबर 784/262 रकबा 0.62 हेक्टेयर का पटवार हल्का रिपोर्ट एवं मौका कमिशनर रिपोर्ट एवं तहसीलदार की रिपोर्ट एवं बिजली कनेक्शन प्रमाण–पत्र या विद्युत विभाग की रिपोर्ट आज तक माननीय न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की है। मौके के निरीक्षण/अभिलेख भी किसी सिंचाई स्त्रोत/कनेक्शन की उपस्थिति नहीं दिखाते। अतः यह दावा मिथ्या है:– प्रतिवादी ने अपनी आपत्ति पत्र में यह कथन किया है कि खसरा नम्बर 784/262, रकबा 0.62 हेक्टेयर पर प्रतिवादी ने अपने निजी खर्च से ट्यूबवेल बोरिंग रखी हुई है तथा उसके नाम से विद्युत कनेक्शन संचालित हो रहा है। यह कथन पूर्णतः भ्रमित करने वाला, असत्य एवं तथ्यहीन है।, वादी ने इस संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जयपुर डिस्कॉम), दौसा से जानकारी प्राप्त की, जिसमें लोक सूचना अधिकारी एवं अधीक्षण अभियंता (पवस), जयपुर डिस्कॉम, दौसा द्वारा जारी पत्र क्रमांक जेपीडी/अधि.अभि./पवस/दौसा/आर.टी. आई. प्रे.719 दिनांक 29/07/2025 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि कनिष्ठ 4 अभियंता बांदीकुई की मौका जांच के अनुसार खसरा नम्बर 784/262 में वर्तमान में कोई विद्युत कनेक्शन स्थापित नहीं है। इससे यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि आपत्तिकर्तागण / प्रतिवादीगण द्वारा पेश किया गया प्रार्थना पत्र असत्य है तथा खसरा नम्बर 784/262 पर किसी भी व्यक्ति/सहखातेदार के नाम से कोई विद्युत कनेक्शन अस्तित्व में नहीं है। उक्त

सहायक कलेक्टर एव
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner

आर.टी.आई. उत्तर एक सरकारी अभिलेख (Public Document) है, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 74 एवं 77 के अंतर्गत न्यायालय में स्वीकार्य साक्ष्य है। प्रार्थना पत्र का पैरा न. 7 अस्वीकार है। रास्ता सभी खातेदारों की सुविधा अनुसार दिया गया है। खसरा 278 (0.33 है.) को दो भागों में बाँटा गया 278/1 (0.16 है.) करण सिंह हेतु तथा 278/2 (0.17 है.) मोहन सिंह हेतु। खसरा 784/262 में से होते हुए 0.04 हैक्ट, का शामलाती नया रास्ता, जिसका नया खसरा नं. 784/262/3 है (मेगा हाईवे से लगता, नक्शे में पीला रंग से दर्शित) इसके बाद खसरा 264 में से होते हुये 0.02 है. का शामलाती नया रास्ता, जिसका नया खसरा नंबर. 264/2 है (पीला रंग) दोनों रास्ते सन्निहित/लगते हुए हैं.। हैं, जिससे 278/2 तक निर्वाध पहुँच सुनिश्चित है। अन्य खसरे (जैसे 784/262, 775/253, 798/248, 817/296 इत्यादि) का विभाजन भी कब्जा काश्त, और रास्ते की उपलब्धता को ध्यान में रखकर नियम 21 (क), (ख), (ग) के अनुरूप किया गया है। प्रार्थना पत्र का पैरा न. 8 अस्वीकार है। क्यों कि स्वयं तहसीलदार महोदय द्वारा मौके पर जाकर कुर्रेजात तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किये है। मिलीभगत/बिना मौके का कथन तथ्यहीन है। 30/05/2025 को नोटिस, 11/06/2025 को मौका निरीक्षण, सीमांकन / मानचित्र समस्त प्रक्रिया रिकॉर्ड आधारित है। एवं मौके पर स्वयं तहसीलदार ने उपस्थित होकर कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार की जिसकी विडियोग्राफी जवाब प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थना पत्र का पैरा न. 9 अस्वीकार है आपत्तिकर्तागण / प्रतिवादीगण ने स्वयं जानबूझकर कुर्रेजात पर हस्ताक्षर नहीं किये थे। क्योंकि आपत्तिकर्तागण / प्रतिवादीगण अपने अनुसार बिना साक्ष्यों के आधार पर गलत प्रकार से कुर्रेजात बनवाना चाहते हैं। तहसीलदार महोदय बांदीकुई आपत्तिकर्तागण / प्रतिवादीगण के मनगढंत जबाब दावा के आधार पर कुर्रेजात नहीं बनाए इसलिए आपत्तिकर्तागण / प्रतिवादीगण ने कुर्रेजात रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर नहीं किये थे। तहसीलदार महोदय बांदीकुई ने कब्जे अनुसार ही कुर्रेजात तैयार कर श्रीमान के समक्ष पेश की है। प्रार्थना पत्र का पैरा न. 10 अस्वीकार है तहसीलदार ने जो मौका रिपोर्ट पेश की है। उसमें स्पष्ट रूप से दिनांक अंकित की है। कि इस दिन कुर्रेजात तैयार किये गये है। कुर्रेजात दिनांक 11/06/2025 से द्योतित है।

प्रार्थना पत्र का पैरा न 11 अस्वीकार है क्यों कि आपत्तिकर्तागण /प्रतिवादीगण द्वारा लगाया गया यह आरोप कि तहसीलदार बांदीकुई ने न्यायालय आदेश की अवहेलना कर, बिना मौके का निरीक्षण किये एवं बिना आपत्तिकर्ताओं को सुनवाई का अवसर दिये कुर्रेजात तैयार किया यह आरोप असत्य एवं निराधार है। वास्तविक यह है कि तहसीलदार बांदीकुई ने प्रत्येक बार मौके पर जाकर कुर्रेजात तैयार किये हैं। तीनों बार (दिनांक 22/12/2023, 31/07/2024 तथा 11/06/2025) तैयार हुए कुर्रेजात एक समान है इस कारण से आये क्योंकि कब्जे की वास्तविक स्थिति तीनों अवसरों पर समान रही। अतः जब कब्जा यथावत था तो कुर्रेजात रिपोर्ट को भी प्रत्येक बार एक समान रूप से आना स्वाभाविक ही था। नवीनतम कुर्रेजात दिनांक 11/06/2025 विधिवत नोटिस पालन के उपरांत, मौके पर जाकर और दोनों पक्षकारों को अवसर प्रदान करते हुए तैयार किये गये हैं। कुर्रेजात रिपोर्ट पर तहसीलदार ने नोटिस तामील का स्पष्ट उल्लेख भी किया है। इन कुर्रेजात की तैयारी में राजस्व बोर्ड नियम 1955 के नियम 18 से लेकर नियम 21 तक की संपूर्ण विधिक पालना की गई है अर्थात् कब्जे को प्राथमिकता, हिस्सेदारी का अनुपात.. मार्ग की उपलब्धता तथा नक्शे पर विधिवत अंकन किया गया है। दिनांक 31/07/2024 व दिनांक 11/06/2025 की कुर्रेजात रिपोर्ट का समान होना ही इस तथ्य का प्रमाण है कि

सहायक कलेक्टर एव
कार्यपालक मजिस्ट्रेट

Scanned with OKEN Scanner

तहसीलदार ने कब्जे की वास्तविक स्थिति को ही अंकित किया है और कोई मनमानी या न्यायालय के आदेश की अवहेलना नहीं की है। प्रतिवादी की यह आपत्ति कि कुर्रेजात न्यायालय आदेश के विरुद्ध, बिना मौका देखे और बिना सुनवाई के तैयार हुए हैं तथ्यहीन, निराधार और अस्वीकृत करने योग्य है। विशेष विवरण का जवाब निम्न है कि प्रतिवादी द्वारा यह आपत्ति उठाना कि प्रश्नगत कुर्रेजात दिनांक 11/06/2025, पूर्ववर्ती कुर्रेजात दिनांक 31/07/2024 को दोहराते हुए तैयार किये गये हैं स्वीकार है। क्योंकि तहसीलदार बांदीकुई द्वारा प्रत्येक बार मौके पर जाकर, वास्तविक कब्जे का निरीक्षण कर तथा नियमानुसार दोनो पक्षों को नोटिस देकर प्रश्नगत कुर्रेजात दिनांक 11/06/2025 विधिवत कब्जे के आधार पर ही कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक – 11/06/2025 तैयार कर न्यायालय के समक्ष पेश किये गये हैं। अतः प्रार्थना पत्र आपत्ति का जवाब पेश कर निवेदन है कि आपत्तिकर्तागण / प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे क्योकि आपत्तिकर्तागण / प्रतिवादीगण बार बार कुर्रेजात पर आपत्ति इसलिये लगाता है कि तहसीलदार द्वारा कुर्रेजात आपत्तिकर्तागण / प्रतिवादीगण के अनुसार नही बनाई जा रही है जबकि आपत्तिकर्तागण / प्रतिवादीगण स्वयं के अनुसार कुर्रेजात बनवाना जाता है इसलिये बिना किसी आधार के प्रार्थना पत्र आपत्ति श्रीमान के समक्ष पेश करता है और इससे पूर्व में भी आपत्तिकर्तागण / प्रतिवादीगण दो बार श्रीमान के समक्ष कुर्रेजातों पर आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश कर चुका है और अब भी आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश कर न्यायालय का कीमती समय बर्बाद कर रहा है आपत्तिकर्तागण /प्रतिवादीगण का आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश करने का उद्देश्य मात्र न्याय में विलम्ब करने का है। इसलिये आपत्तिकर्तागण/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र आपत्ति खारिज फरमाया जाकर दिनांक 11.06.2025 को आये कुर्रेजात के अनुसार फाईनल डिक्री बनाई जावे।

बहस आपत्ति कुर्रेजात सुनी गई। बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रस्तुत प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के सम्बध में कोई साक्ष्य पेश नही किये गये है। जिससे यह प्रतीत होता है कि तहसीलदार द्वारा कुर्रेजात मौके अनुसार बनाया जाना प्रतीत होता है। इसलिये आपत्ति कुर्रेजात प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। तहसीलदार बांदीकुई द्वारा उनके पत्रांक 3153 दिनांक 27.6.2025 के द्वारा कुर्रेजात पेश किये गये कुर्रेजात स्वीकार किये जाकर कुर्रेजात अनुसार दावा तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाकर पक्षकारान का कुर्रेजात अनुसार निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है:–

क्र.स	नाम खातेदार	ख0न0	रकबा	किस्म
1	करणसिंह मुत्र रेवडसिंह हि0 पूर्ण जाति राजपूत सा0देह खातेदार	263 264/1 278/1 798/248 1 775/253 1 784/262 1 815/287 1 817/296 1	0.02 है0 0.21 है0 0.16 है0 0.52 है0 0.085 है0 0.29 है0 0.02 है0 0.035 है0	गै0मु0 चाह चाही ए चाही । बारानी । बारानी । चाही ए बारानी । बारानी ।

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट

Scanned with OKEN Scanner

		कुल किता 08	कुल रकबा 1.34 है0	
2	जसपाल सिंह, महिपाल सिंह, मोहनसिंह, सोहनसिंह पुत्रान बागसिंह ब0 हि0 समस्त जाति राजपूत सा0 देह खातेदार	266	0.01	चाही ।
		298	0.07	बारानी ।
		278/2	0.17	
		798/248	0.52	चाही ।
		2		जाव ।
		775/253	0.055	
		2		बारानी ।
		784/262	0.29	
		2		बारानी 2
		811/269	0.09	जाव ।
		826/280	0.09	चाही ।
		817/296	0.045	बारानी ।
		2		
		कुल किता 09	1.34	
3.	शामलाती खाता सं.–12 के अनुसार	264/2	0.02	गै. मु. रास्ता
		784/262/3	0.04	गै. मु. रास्ता
		कुल किता 2	कुल रकबा 0.06	
4.	शामलाती खाता सं. 13– के अनुसार	261	0.02	गै. मु. श्मशान
		271	0.02	गै. मु. रास्ता
		279	0.02	
		299	0.03	गै. मु. श्मशान
		810/269	0.01	
		819/253	0.02	गै. मु. रास्ता
				चाही ।
				बारानी ।
		कुल किता 6	रकबा 0.12	

कुर्रेजात निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। अंतिम डिक्री जारी हो। तहसीलदार बांदीकुई तदानुसार राजस्व रिकार्ड में विधिवत अमल दरामद करना सुनिश्चित करे। साथ ही प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की मजाहमत न करे। पालना हेतु तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांकः 15.09.2025 को लिखा व सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। निर्णय सुनाया गया।

(नीतू [illegible])
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक)
सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में जा...
	करण सिंह बनाम मोहनसिंह	

5/9/25
पत्रावली पेश हुई। वकील उपस्थित [illegible] वास्ते बहस/जवाब आपत्ती [illegible] दिनांक 8/9/2025 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) बांदीकुई

8/9/25
पत्रावली पेश हुई। वकील उपस्थित [illegible] जवाब आपत्ती कार्यवाही पेश हुआ। वास्ते बहस दिनांक 11/9/25 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) बांदीकुई

11/9/2025
पत्रावली पेश हुई। वकील उपस्थित [illegible] बहस प्रार्थना आपत्ती कार्यवाही [illegible] वास्ते आदेश दिनांक 15/9/25 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) बांदीकुई

15/9/25
पत्रावली पेश हुई। वकील उपस्थित [illegible] कार्यवाही अनुसार [illegible] [illegible] जाता है। पत्रावली बाद [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) बांदीकुई